न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या- 26/2023

सी.आई.एस नंबर- 154/2023

1. मौहम्मद खां पुत्र मौजी खां निवासी अलावडा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर राज.

....अभियुक्त-अपीलान्ट

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, अलवर

...रेस्पोडेंट

"दाण्डिक अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 01.08.2023 न्यायालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ, जिला अलवर, पीठासीन अधिकारी नगेन्द्र सिंह, आर.जे.एस. बउन्वान सरकार बनाम मौहम्मद खां, प्र.सं. 23/816/21, अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 457 भा.दं.सं."

उपस्थितिः-

1. श्री राकेश यादव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से।

2. श्री अजीत यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

-निर्णय- **दिनांकः- 29.06.2026**

1. यह हस्तगत अपील अपीलार्थी-अभियुक्त **मौहम्मद खां** द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ, जिला अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 23/816/2021 बअनुवान सरकार बनाम मौहम्मद खां, अन्तर्गत धारा 323, 354, 457 भा.दं.सं. में पारित निर्णय दिनांकित 01.08.2023 के विरूद्ध माननीय सेशन न्यायाधीश, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. उक्त हस्तगत अपील में विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ, जिला अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 23/816/2021 सरकार बनाम मौहम्मद खां में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2023 में अपीलार्थी/अभियुक्त मौहम्मद खां

को अपराध अंतर्गत धारा 354, 457 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर निम्न दंड से दंडित किया गया-

कम संख्या	अभयुिक्त का नाम	अपराध धारा	सजा	अदम अदायगी
1.	मौहम्मद खां	354 भा.दं..सं.	दो साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह का सश्रम कारावास
		457 भा.दं.सं.	दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड तीन माह का सश्रम कारावास

जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील पेश की गयी ।

3. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया असरपी ने थाना रामगढ में रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि "दिनांक 02.07.2011 को रात्रि के समय करीब एक बजे वह अपने कमरे के बाहर चार दीवारी के अंदर बने हुए चबूतरे पर अपने छोटे बच्चों के पास अलग पलंग बिछाकर सो रही थी । प्रार्थीया का पति घर के पास स्थित भैंसों के बाडे में सो रहा था कि अचानक ग्राम अलावडा के ही रहने वाले मौहम्मद खां ने प्रार्थीया को आकर दबोच लिया तथा प्रार्थीया का मुंह हाथ से बंद कर गलत हरकत करने लगा । तथा प्रार्थीया की छाती को जोर से भींच लिया । प्रार्थीया ने बडी मुश्किल से हाथापाई करने के बाद मुंह से हाथ हटाकर शोर मचाया जिससे प्रार्थीया का पति दौडकर प्रार्थीया के पास आया और उसने मुलजिम मौहम्मद खां को रंगे हाथ वहीं पर पकड लिया तो उसने प्रार्थीया के पति के उपर भी लात घूसों से मारपीट की । ज्यादा शोर और जाग जाने पर ग्राम के कुछ लोग वहां पर आते दिखे । इतनी देर में मुलजिम ने एक मोटरसाईकिल की चैन से प्रार्थीया के उपर वार कर और मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया । भागते समय मुलजिम एक लूंगी, एक तौलिया तथा पैरों के जूते व एक मोटरसाईकिल की चैन वहीं मौके पर ही छोडकर भाग गया । तथा प्रार्थीया ने गले में एक सोने की चैन पहनी हुयी थी जो भी छेडछाड करते वक्त उसने निकाल ली जो अभी तक नहीं मिली । मुलजिम बहुत शातिर व बदमाश किस्म का आदमी है जो आये दिन दूसरों की बहन बेटियों के साथ ऐसी गलत हरकतें करता रहता है। अपने साथ हर समय हथियार भी रखता है तथा जाते-जाते किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी देकर गया था। अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया........इत्यादि ।

4. उक्त रिपोर्ट पर एफ.आई.आर.सं. 345/2011 अन्तर्गत धारा 323, 456, 354, 379 भा.दं.सं. में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 354, 457 भा.दं.सं. में आरोप पत्र दिनांक 15.12.2011 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 354, 457 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया

गया तथा अभियुक्त को पृथक से धारा 323, 354, 457 भा.दं.सं. के आरोप सुनाये व समझाये गये, जिसे सुन समझकर आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

5. साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न गवाह परीक्षित कराये गये--

कम संख्या	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1.	पी डब्ल्यू 1	असरपी
2	पी डब्ल्यू 2	रहीम खां
3	पी डब्ल्यू 3	सेलम उर्फ सलीम खां
4	पी डब्ल्यू 4	हस्या
5	पी डब्ल्यू 5	हमीद खां
6	पी डब्ल्यू 6	गणेशराम
7	पी डब्ल्यू 7	जुम्मा
8	पी डब्ल्यू 7	नवाब
9	पी डब्ल्यू 8	आजाद खां
10	पी डब्ल्यू 9	डॉ0 मनोहर लाल
11	पी डब्ल्यू 10	सुरेन्द्र कुमार

साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये-

कम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी 2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 3
4.	चोट प्रतिवेदन असरपी	प्रदर्श पी 4
5.	फर्द जब्ती एक तौलिया, लूंगी, जूते व मोटरसाईकिल की चैन	प्रदर्श पी 5
6.	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी गवाहान सलीम खां, हस्या , हमीद खां, नवाब खां	प्रदर्श पी 6 लगायत पी 8 व प्रदर्श पी 10
7.	फर्द शिनाख्तगी तहमद, तौलिया, जूता	प्रदर्श पी 9
8.	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी 11ए

6. अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा । अभियोजन साक्ष्य के दौरान प्रदर्श डी 1 एफआईआर संख्या 133/12 थना रामगढ की प्रति, प्रदर्श डी 2 बयान 161 सीआरपीसी रहीम खां को प्रदर्शित कराया गया ।

7. दौराने बहस अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त के द्वारा परिवादिया के पति के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी और ना ही अभियुक्त परिवादिया के घर के अंदर घुसा था, ना उसके द्वारा उसके साथ कोई छेडछाड की गयी । यदि अभियुक्त के द्वारा परिवादिया के पति के साथ मारपीट की जाती तो निश्चित रूप से उसके पति के शरीर पर साधारण या गंभीर चोटें आती, जबकि पत्रावली पर परिवादिया के पति का कोई चोट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। पीडित के भी कोई चोटें नहीं है और परिवादिया के घर पर कोई गेट ही नहीं बना हुआ है तो अभियुक्त गेट तोडकर कैसे जा सकता है। अभियुक्त के द्वारा परिवादिया व उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी क्योंकि उन्होंने अभियुक्त का हाथ तोड दिया था और उक्त प्रकरण से बचने के लिए परिवादी पक्ष ने झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है । प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य लेखबद्व नहीं हुयी है और पीडिता के धारा 164 द.प्र.सं. के बयान भी लेखबद्व नहीं करवाये हैं। अभियुक्त 75 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विवेचन नहीं किया है। अतःविचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए तथा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

8. जबकि इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा तर्क दिया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का उचित दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई अवैधता व त्रुटि नहीं है । अतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये तथा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की जाए।

9. बहस उभय पक्ष की सुनने, पत्रावली में विधि व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रकरण मे **गवाह पी डब्ल्यू 1 परिवादिया असरपी है** जिसने कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज करवायी थी । उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कथन करती है और उल्लेख करती है कि करीब दस-ग्यारह साल पहले रात को एक बजे की बात है। वह अपने कमरे के बाहर चौतरे पर चारपाई पर अपने बच्चों को लेकर सो रही थी । तभी मौहम्मद खां उसके गेट को कूदकर अंदर आ गया और उसे दबाने की कोशिश की । छाती दबाई । गलत नीयत से उसके उपर चढ गया, तभी उसने उसके पति को आवाज दी जो दूसरी जगह भैंसों के पास सो रहा था । तभी उसका पति उसकी आवाज सुनकर मौके पर आ गया और मौहम्मद खां को पकड लिया । फिर आपस में हाथापाई शुरू हुई । फिर मौहम्मद खां ने

उसके पति को मोटरसाईकिल की चैन मारी । हाथापाई करने के बाद मौहम्मद खां मौके से भाग गया तभी मौके पर लूंगी, तौलिया और मोटरसाईकिल की चैन और जूते वहीं पर रह गये । उसके गले की चैन को भी मौहम्मद खां खेंचकर भाग गया । फिर उसने थाने पर आकर रिपोर्ट पेश कर मुकदमा दर्ज कराया ।

10. उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। कार्यवाही पुलिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, उसकी चोटों का मैडिकल मुआयना प्रदर्श पी 4 है । जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे ।

11. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करती है कि वह अनपढ है और प्रदर्श पी 1 उसके पति ने लिखी थी । उसका पति पढा-लिखा है। उसके माथे पर खरोंच आदि आयी थी और उसके पति व अभियुक्त के मध्य गुत्थम गुत्था हुयी थी और उसके पति के सिर से खून भी निकला था । परन्तु पत्रावली पर परिवादिया के पति रहीम खां का कोई चोट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है और रहीम खां का कोई चोट प्रतिवेदन क्यों नहीं बनाया गया इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोई उचित कथन नहीं कहे गये हैं।

12. गवाह पी डब्ल्यू 1 असरपी अपनी जिरह में यह भी स्पष्ट कथन करती है कि उसके मकान के गेट नहीं लगा हुआ है इसलिए उसने गेट तोडने वाली बात जो बतायी है वह गलत है और डंडा कूदने वाली बात सही है । तो यदि किसी व्यक्ति के घर पर गेट ही नहीं लगा हुआ है तो कोई व्यक्ति यदि उसके घर के अंदर प्रवेश करना चाहेगा तो वह उपर डंडे से कूदकर प्रवेश क्यों करेगा, जबकि घर में कोई गेट लगा हुआ नहीं है, बल्कि सीधे ही बिना दरवाजे के गेट से चला जाएगा , डंडा कूदने की आवश्यकता ही नहीं होगी । प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी व अन्य गवाहान ने अपनी मौखिक व दस्तावजी किसी भी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके घर में डंडा कितना उपर लगा हुआ है और कितनी उंचाई से अभियुक्त ने डंडा कूदा था । और यदि परिवादिया व उसका पति घर में सो रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि अभियुक्त बिना दरवाजे के गेट से अंदर आया था या डंडे को कूदकर अंदर आया था । स्वयं परिवादिया भी यह कथन करती है कि वह खुले चबूतरे पर सो रही थी इससे भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने चार दीवारी या घर के अंदर प्रवेश नहीं किया । इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्त पर अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. का अपराध स्पष्ट रूप से साबित नहीं होता है।

13. जिरह में उक्त गवाह यह भी कथन करती है कि पुलिस उसका मैडिकल मुआयना करवाने गयी थी तब अभियुक्त का भी मैडिकल करवाया था । और उस दिन अभियुक्त मौहम्मद खां के शरीर पर भी चोटें आयी होगी तो उसे जानकारी नहीं है । और पुलिस रात को मौहम्मद खां को थाने पर लेकर नहीं आयी थी ।

14. उक्त गवाह अपनी जिरह में यह भी स्वीकार करती है कि अभियुक्त मौहम्मद खां ने उसके पति व उसके पुत्र, पुत्री के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें उनके द्वारा जमानत करवायी गयी थी । इससे भी यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा पीडित पक्ष के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी जिसमें परिवादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त के साथ मारपीट करने पर अभियुक्त के चोटें आयी थी और उक्त चोटों के बाबत स्वयं पीडिता यह स्वीकार करती है अभियुक्त के चोटें आयी थी और क्रॉस केस उनके विरूद्ध दर्ज है। और दिनांक 02.07.2011 को परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त के साथ कोई मारपीट करना नहीं बताया है।

15. **गवाह पी डब्ल्यू 2 रहीम खां** है । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि करीब दस साल पहले की बात है। वह भैंसों के पास ग्वाडा में सो रहा था । रात को एक बजे की बात थी । तभी उसकी घरवाली की चिल्लाने की आवाज आयी उसका मुंह दबा रखा था । उसकी घरवाली चबूतरे पर लेटी पडी थी इतने में वह वहां पहुंचा तो मौहम्मद खां ने इसका मुंह दबा रखा था और उससे गुत्थम गुत्था हो रखा था। मौहम्मद खां उसकी घरवाली की ईज्जत बिगाड रहा था । यह उसे उसकी घरवाली के उपर नंगा धडंगा मिला । फिर उसकी और मौहम्मद खां की हाथापाई हुई । फिर उसने मोटरसाईकिल की चैन फिराई और यह उनसे छूटकर भाग गया । मुलजिम वहां पर उसके जूते और तहमद, स्वाफी और मोटरसाईकिल की चैन छोड गया । वह मौहम्मद खां को पहचानता है। फिर उसने और उसकी घरवाली ने थाने में आकर दरख्वास्त पेश की जो प्रदर्श पी 1 है। जिसकी कार्यवाही पुलिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने मुलजिम जो तौलिया, लूंगी, मोटरसाईकिल की चैन मौके पर छोड गया था को उसके सामने जब्त किया था जो प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

16. जिरह में भी उक्त गवाह कुछ कथन तो तहरीरी रिपोर्ट के अनुसरण में करता है और कुछ भिन्न कथन भी करता है और उल्लेख करता है कि उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी तथा चबूतरा कमरे के पीछे है । उसकी पत्नि कमरे के आगे सो रही थी और घटना के समय रात को दस-बीस व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे । पुलिस को फोन किसने किया उन्हें नहीं पता, परन्तु पुलिस मौके पर रात को ही आ गयी थी और उसके द्वारा प्रदर्श डी 2 धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में अभियुक्त मौहम्मद खां के नंग धडंग अवस्था में भागने की बात नहीं लिखी हुयी है । यदि अभियुक्त नंग धडंग अवस्था में पीडिता असरपी के उपर गिर गया था तो फिर अभियुक्त के कपडे भी घटनास्थल पर ही रहे होगें और उक्त व्यक्ति भी उसी अवस्था में पकडा होगा तो फिर अभियुक्त के कपडे भी अनुसंधान अधिकारी को परिवादी पक्ष द्वारा उपलब्ध क्यों नहीं करवाये गये इसका भी कोई उचित कारण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं दिया गया । और स्वयं पीडिता भी यह कथन नहीं करती है कि अभियुक्त नंग धडंग अवस्था में उस पर गिर गया था । अतः पीडिता का पति प्रकरण में घटना से वर्धित कथन करता है।

17. उक्त गवाह भी जिरह में यह स्वीकार करता है कि अभियुक्त के द्वारा उसके व उसकी पत्नि व उसके बच्चों के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी । जिसमें उनकी जमानत हुयी थी और वर्तमान में प्रकरण लंबित है। इससे भी स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था और विवाद के बाबत दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी ।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 3 सेलम उर्फ सलीम खां, पी डब्ल्यू 5 हमीद खां है। उक्त दोनों गवाह अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीरी रिपोर्ट में कहे कथनों की पुष्टि में कथन नहीं करते हैं । बल्कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी पक्ष के विरूद्ध जो रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी उक्त क्रॉस के तथ्यों के संबंध में साक्ष्य देते हैं।** उक्त गवाहान यह कथन करते हैं कि दिनांक 02.07.2011 की बात है। सुबह छः-सात बजे की बात है। रहीम खां की बकरी मौहम्मद खां की चरी में चरने घुस गयी । मौहम्मद खां रहीम खां को उल्हाना देने के लिए गया । उल्हाना देकर मौहम्मद खां उसके घर आ गया । रहीम खां, असरफी, आरिफ, अफसीना ने खेत में उगी हुयी चरी में जाकर मौहम्मद खां के साथ लडाई झगडा किया । असरपी ने मौहम्मद खां के सिर में लाठी मारी । रहीम खां ने बांये हाथ पर लाठी मारी । बाकी बच्चों ने पैरों आदि में लाठी मारी । इनका उन्होंने बीच बचाव करवाया इसके अलावा और कोई बात नहीं हुयी । उक्त गवाहान **पक्षद्रोही** घोषित हुए हैं।

19. जिरह में भी उक्त गवाहान विरोधाभासी कथन करते हैं और स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि असरपी , रहीम खां आदि के द्वारा मौहम्मद खां के विरूद्ध मारपीट के बाबत जो कथन कहे हैं वह गलत हैं। बल्कि मौहम्मद खां चरी में बकरी घुसने का उल्हाना देने के लिए गया था । और इस प्रकार उक्त दोनों गवाह परिवादी पक्ष के विरूद्ध साक्ष्य देते हैं।

20. **गवाह पी डब्ल्यू 4 हस्या** है उक्त गवाह भी **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि करीब दस-ग्यारह साल पहले की बात हे। वह रात को सो रहा था। करीब 12 बजे की बात है। उसको बन्नी घर से बुलाने आया था, फिर वह मौहम्मद खां के घर गया था । वहां मौहम्मद के हाथ व सिर में चोट लगी पडी थी । इतने में ही रहीम खां के पुलिस आ गयी । किस बात को लेकर झगडा हुआ उसको पता नहीं है । क्या विवाद है उसको जानकारी नहीं है। असरपी और मौहम्मद खां के विवाद के बाद में उनके गांव में नहीं गया । वह किसी पंचायत में भी नहीं गया था ।

21. उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 7 ए नवाब खां** है । उक्त गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दो-तीन साल पहले दो तारीख की बात है। मौहम्मद खां के सिर में चोट लगी हुयी थी जिसे उसके पास लेकर आये थे और बताया कि किसी ने उसके मार दिया । फिर उसने उसको रामगढ अस्पताल आकर भर्ती करा

दिया था । वह असरफी को जानता है। उसके सामने कोई बात नहीं हुयी थी । ना ही कोई मारपीट हुई, ना ही छेडछाड हुयी ।

23. उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

24. इस प्रकार उक्त दोनों गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं देते हैं।

25. **गवाह पी डब्ल्यू 7 जुम्मा** है जो परिवादिया के पति रहीम का भाई है और एक अनुश्रुत गवाह है और वक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था । उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वर्ष 2011 की बात है। उस दिन रात एक बजे करीब रहीम खां के घर में मौहममद खां घुस गया था। वह रहीम खां की औरत अशरफी के पास घुसा था। इस बात को लेकर रहीम खां और मौहम्मद खां के बीच मारपीट हुई थी । मौहम्मद खां उसकी लूंगी, जूता, मोटरसाईकिल की चैन और तौलिया छोडकर भाग गया था । उनके पास रहीम खां का फोन आया था । जिस पर वह, उसका बेटा रूजदार व छोटा भाई जाकिर, रहीम खां के घर पर गये । इस बात की जानकारी पंचायत में दी थी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी थी और मौहम्मद खां का सामान रहीम खां ने पुलिस थाने में पेश किया था। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 पुलिस ने उसके सामने बनायी थी । जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस वालों ने यह सामान थाने में जमा कर लिया था ।

26. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि वक्त घटना वह घटनास्थल पर नहीं था । तथा जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो अभियुक्त घटनास्थल से भाग चुका था और उसने रहीम खां के शरीर पर कोई चोट नहीं देखी । इस प्रकार परिवादिया द्वारा उसके पति के साथ मारपीट होने व उसके चोटों के संबंध में जो साक्ष्य दी है उसी के विपरीत रहीम खां का भाई अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसने रहीम खां के चोटें नहीं देखी । जबकि वह घटनास्थल पर उसी समय पहुंच गया था ।

27. **गवाह पी डब्ल्यू 8 आजाद खां** है। उक्त गवाह अनुश्रुत गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 02.07.2011 की बात है। वह रामगढ किसी काम से आया हुआ था तो वहां पर रहीम खां व उसकी पत्नि असरफी और उसके चाचा वगैरा आए हुए थे और बताया कि मौहम्मद नाम का कोई व्यक्ति उनके घर में घुसा है और उसने असरफी का मुंह दबाया और उसे सीने से पकड लिया और उसकी लज्जा भंग की और फिर असरफी ने उसके दांतों से मौहम्मद खां के काटा फिर उसने उसे पहचाना और हल्ला मचाया । असरफी का पति दूसरी जगह बाडों में लेटा हुआ था। उसने कोई घटना देखी नहीं थी, सुनी थी । फिर वह इनके साथ में थाने में गया था और वहां पर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवायी । पुलिस ने उससे पूछताछ की थी । पुलिस ने मौका मुआयना किया था । नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने

पुलिस ने तौलिया, जूते, लूंगी, मोटरसाईकिल की चैन जब्त किये थे जिनकी जब्ती प्रदर्श पी 5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

28. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि जूते प्लास्टिक के थे और पुलिस के द्वारा प्रदर्श पी 5 पर थाने पर हस्ताक्षर करवाये थे । इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा जो जब्ती आदि बतायी है वह थाने पर ही उसके सामने जब्त करना बताया है। जबकि उक्त सामान घटनास्थल पर जब्त होना चाहिए था और उसी के बाबत साक्ष्य आनी थी । परन्तु इस संबंध में ना तो घटनास्थल से कोई जब्ती स्पष्ट रूप से बतायी गयी और ना ही किसी गवाह ने उसकी पुष्टि की ।

29. **गवाह पी डब्ल्यू 6 गणेशराम कांस्टेबल है जो दस्तावेजों का गवाह है**। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 17.08.2011 को वह कांस्टेबल के पद पर थाना रामगढ पर तैनात था । उस दिन अवतार सिंह एएसआई ने मौके पर छोडे हुए मौहम्मद खां के कपडे एक तहमद, तौलिया व जूते मौजी खां को दिखाये थे । जिन्हें देखकर मौजी खां ने बताया कि यह वही कपडे हैं जो मौहम्मद खां वक्त घटना पहने हुए थे । फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी 9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद शिनाख्तगी एच.एम मालखाना सुरेन्द्र कुमार को कपडे सुपुर्द किये गये ।

30. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि प्रदर्श पी 9 की कार्यवाही उसने थाने पर बैठकर की गयी थी । इस प्रकार उक्त गवाह केवल दस्तावेजों की जब्ती के संबंध में साक्ष्य देता है।

31. **गवाह पी डब्ल्यू 9 डॉ० मनोहरलाल** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 02.07.2011 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीएचसी रामगढ में पदस्थापित था । उस दिन उसने पुलिस थाना रामगढ की तहरीर पर श्रीमती अशरफी के शरीर पर आयी चोटों का मैडिकल मुआयना किया था । जिसके निम्न चोटें पायी गयी-

1. चोट नंबर 1 खरोंच दो बाई एक सेमी. गर्दन पर आगे की ओर दांयी तरफ

2.चोट नंबर 2 खरोंच, दांतों के काटे जाने का निशान, बांये गाल पर

3. चोट नंबर 3 पेट में दर्द की शिकायत

चोट नंबर 1 व 2 साधारण प्रकृति की थी व कुंद हथियार से कारित थी । मजरूब का पहचान चिन्ह कॉलम नंबर 6 में अंकित है। चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट अशरफी प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर अंगूठा निशानी है।

32. जिरह में भी उक्त गवाह कथन करता है कि पुलिस की तहरीर पत्रावली पर नहीं है और चोटें स्वकारित भी हो सकती है। चोट संख्या 2 कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहे तो बना सकता है, परन्तु चोट संख्या 2 जो दांत से काटे जाने के संबंध में तथ्य अंकित किये हैं उसके बाबत परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा व तहरीरी रिपोर्ट में कहीं पर भी

यह अंकित नहीं किया है कि अभियुक्त ने उसके शरीर के किसी भाग में दांत से काटा हो । और दांत से काटा हुआ भाग चोट प्रतिवेदन बनाते समय इतने लंबे समय तक स्पष्ट रूप से दिखायी दे रहा हो यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है और उक्त चोटों के बाबत चोटों की अवधि भी डॉक्टर के द्वारा अंकित नहीं की गयी है, और चोटों की अवधि अंकित क्यों नहीं की इसका कोई उचित कारण डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया गया है।

33. **गवाह पी डब्ल्यू 10 सुरेन्द्र कुमार** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 02.07.2011 को वह थाना रामगढ में एच.एम मालखाना के पद पर तैनात था । उस दिन मुकदमा नंबर 345/11 में आई.ओ ने एक तहमद, तौलिया, एक जोडी जूते , एक लोहे की चैन मुस्तगीसा के पति द्वारा पेश करने पर जमा मालखाना किया । जो मद नंबर 721/116 पर उसने इंद्राज किया । असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 11 है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 11ए है।

34. जिरह में गवाह कथन करता है कि उसे माल आई.ओ ने जमा करने हेतु दिया था।

35. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी डब्ल्यू 1 असरपी, पी डब्ल्यू 2 रहीम खां है, अन्य गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और दस्तावेजों के गवाह हैं। गवाह पी डब्ल्यू 1 असरपी व पी डब्ल्यू 2 रहीम खां अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में कहीं पर भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि अभियुक्त ने उनके घर के अंदर घुसकर रहीम खां के साथ मारपीट की हो, परन्तु यह तथ्य स्पष्ट है कि परिवादी के घर के बाहर खुले में दोनों पक्षों के मध्य विवाद हुआ था और उक्त विवाद पर पुलिस घटनास्थल पर गयी थी और दोनों पक्षों को थाने पर लेकर आयी थी और दोनों ही पक्षों के चोटों का चोट प्रतिवेदन भी तैयार करवाया गया था । अतः **अभियुक्त पर अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. का अपराध साबित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं. के तहत दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है ।**

36. परन्तु परिवादिया व उसके पति रहीम खां के द्वारा यह कथन स्पष्ट किये गये हैं कि अभियुक्त ने परिवादिया के साथ छेडछाड की थी । यद्यपि अभियुक्त के द्वारा यह कथन किये गये हैं कि वह परिवादिया के घर पर उल्हाना देने गया था तो सुबह छः-सात बजे या रात के समय उल्हाना देने यदि कोई व्यक्ति जाए यह साधारण परिस्थितियों में स्पष्ट दर्शित नहीं होता है। अतः **अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 354 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाता है ।**

37. अतः विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को **धारा 354 भा.दं.सं.** के आरोप में की गयी दोषसिद्धि की सीमा तक विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.08.2023 पुष्टि किये जाने योग्य है। किन्तु अपीलार्थी-अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा **धारा 457 भा.दं.सं.** के आरोप में की गयी दोषसिद्धी की सीमा तक विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.08.2023 अपास्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

38. अतः **अपीलार्थी-अभियुक्त मौहम्मद खां** पुत्र मौजी खां निवासी अलावडा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर राज. को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 01.08.2023 में **धारा 354 भा.दं.सं. के आरोप में की गयी दोषसिद्धि की सीमा तक पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।**

तथा **अपीलार्थी-अभियुक्त मौहम्मद खां** को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 01.08.2023 में **धारा 457 भा.दं.सं. के आरोप में की गयी दोषसिद्धि की सीमा तक विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.08.2023 अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी अभियुक्त मौहम्मद खां को अपराध अंतर्गत धारा 457 भा.दं.सं० के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।**

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

दण्डादेश के बिन्दु पर

39. अपीलार्थी-अभियुक्त के अधिवक्ता ने दण्डादेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त वर्ष 2011 से विचारण भुगत रहा है। अपीलार्थी-अभियुक्त वृद्ध है। उसे पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा जावे।

40. अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिये जाने का विरोध किया।

41. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी-अभियुक्त वर्ष 2011 से विचारण भुगत रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य मुकदमें लंबित हो ऐसा भी दर्शित नहीं होता है। अपीलार्थी/अभियुक्त वृद्ध है। अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथ पत्र पेश किया गया है कि उसे पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है तथा परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए दण्डादेश के बिन्दु पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थी-अभियुक्त को **धारा 354 भा.दं.सं.** के अपराध में तत्काल किसी कारावास से दण्डित करने के स्थान पर उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित दृष्टिगत होता है।

दण्डादेश

42. अतः **अपीलार्थी-अभियुक्त मौहम्मद खां** की ओर से दण्डादेश के प्रश्न पर यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दण्डादेश के प्रश्न पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य **निर्णय दिनांक 01.08.2023** के द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि **अपलार्थी-अभियुक्त** को **धारा 354 भा.दं.सं.** के आरोप में दोषी पाये जाने पर उसे तत्काल किसी कारावास से दंडित नहीं कर अपलार्थी-अभियुक्त को परिवीक्षा आधिनियम की धारा 4 [1] के तहत परिवीक्षा पर छोडा जाना न्यायोचित प्रतीत होना मानते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी-अभियुक्त परिवीक्षा अधिनयिम की धारा 4 [1] के तहत 10,000/-रूपये का स्वयं का बंध पत्र व इसी राशि का जमानतनामा दो वर्ष की अवधि के लिए विद्वान विचारण न्यायालय में आज से **दो माह** के अंदर इन शर्तों का पेश कर तस्दीक करावे कि वह इस अवधि में शांति व सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा। साथ ही अभियुक्त पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत **2,000/-रूपये [अक्षरे दो हजार रूपये]** भी बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किये जाते हैं। जिसे वह विद्वान विचारण न्यायालय में आज से **दो माह** के अंदर जमा करावे तो अपीलार्थी/अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा जावे अन्यथा विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दण्डादेश यथावत लागू माना जावेगा ।

यदि विचारण न्यायालय में अभियुक्त ने अर्थदंड के रूप में कोई राशि जमा करायी है तो वह धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय के रूप में मानी जाएगी और उसे उक्त राशि में समायोजित किया जाए ।

43. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब लौटाई जावे ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर

44. निर्णय आज दिनांक 29.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या-3,अलवर